

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2016/ ॥३५

दिनांक:- २७/१/१६

### आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-कोटा के अधीन नैनवा (बूंदी) आवासीय योजना के अनिस्तारित 39 आवासों का नियमानुसार निस्तारण उप आवासन आयुक्त, व्रत कोटा/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार खुली बिकी के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति एतद्व द्वारा निर्देशानुसार प्रदान की जाती है, आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	आवास संख्या	आय वर्ग
1	3/134	घरौंदा
2	2/40	ई.डब्ल्यू.एस
3	2/75	ई.डब्ल्यू.एस
4	3/93	ई.डब्ल्यू.एस
5	3/94	ई.डब्ल्यू.एस
6	3/97	ई.डब्ल्यू.एस
7	2/88	अल्प आय वर्ग
8	2/92	अल्प आय वर्ग
9	2/99	अल्प आय वर्ग
10	2/105	अल्प आय वर्ग
11	2/117	अल्प आय वर्ग
12	3/54	अल्प आय वर्ग
13	3/75	अल्प आय वर्ग
14	3/174	अल्प आय वर्ग
15	3/179	अल्प आय वर्ग
16	2/145	अल्प आय वर्ग
17	2/154	अल्प आय वर्ग
18	2/155	अल्प आय वर्ग
19	2/156	अल्प आय वर्ग
20	2/160	अल्प आय वर्ग
21	2/161	अल्प आय वर्ग
22	2/162	अल्प आय वर्ग
23	2/163	अल्प आय वर्ग
24	3/18	अल्प आय वर्ग
25	3/25	अल्प आय वर्ग
26	3/142	अल्प आय वर्ग
27	3/143	अल्प आय वर्ग
28	3/145	अल्प आय वर्ग
29	3/147	अल्प आय वर्ग
30	3/157	अल्प आय वर्ग
31	3/160	मध्यम आय वर्ग-अ
32	3/161	मध्यम आय वर्ग-अ
33	3/162	मध्यम आय वर्ग-अ
34	3/163	मध्यम आय वर्ग-अ
35	3/164	मध्यम आय वर्ग-अ
36	3/170	मध्यम आय वर्ग-अ
37	3/171	मध्यम आय वर्ग-अ
38	3/172	मध्यम आय वर्ग-अ
39	3/173	मध्यम आय वर्ग-अ

विशेष अभियान-2015-16

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत कोटा निम्न शर्तों के आधार पर खुली बिक्री योजना में आवासों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आवासों के अलावा संबंधित स्कीम में कोई अन्य आवास खुली बिक्री हेतु रिक्त नहीं है।
2. आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से नियमानुसार किया जावे।
3. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है तथा पूर्व में आवास हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
4. किसी भी अन्य प्रकार से निस्तारण करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. उक्त प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्याय विवाद लम्बित नहीं है तथा नियमानुसार निरस्त किये गये हैं।
6. मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.33/मुसप्र/खुली बिक्री/10-11/2107 दिनांक 12.11.2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 14-15/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ —

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम रा०आ०म०, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत—कोटा, रा०आ०म० कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड—कोटा, रा०आ०म० कोटा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज० आ० मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा०आ०म०, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (मु0)

१५५५८२ पु०१६६